कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

E-mail Id:deo.singroli@mpexcise.org

वर्ष 2018–19 के लिये ई–टेण्डर के द्वारा देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो/एकल समूहो के निष्पादन बावत

सिंगरौली, दिनांक– 19.2.1

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2018–19 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले में वर्ष 2017–18 में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहो (जिन्हे आगे मदिरा दुकानों/एकल समूहो के नाम सें सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाएगा ।

1. निष्पादन की प्रक्रिया :–

1.1 वर्ष 2018–19 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव मे निष्पादन से शेष रही देशी /विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहो का निष्पादन, ई–टेण्डर द्वारा प्रस्तुत ऑफर के आधार पर निम्नानुसार टाईम टेबल अनुसार कलेक्टोरेट सिंगरौली मे किया जावेगा–

ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रमः–

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 22 फरवरी 2018 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28 फरवरी 2018 दोपहर 03:00 बजे तक।
2	ऑन–लाईन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 28 फरवरी 2018 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 01 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

1.2 ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानो/एकल समूहो में स्थित मदिरा दुकानो का स्थान, प्रकार, आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र0	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	ई–टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं 7 का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैढन SGI एफ–1	बैढन	विदेशी मदिरा	ऑफ	66101808	3305090	1652545
		बैढन	देशी मदिरा	आन	39700566	1985028	992514
		संजयनगर	देशी मदिरा	आन	23586425	1179321	589661
		योग			**129388799**	**6469440**	**3234720**
2	मिढौली SGI एफ–2	मिढौली	विदेशी मदिरा	ऑफ	57713163	2885658	1442829
		मिढौली	देशी मदिरा	आन	26232951	1311648	655824
		स्टेशन रोड सिंगरौली	देशी मदिरा	आन	9032811	451641	225821
		योग			**92978925**	**4648946**	**2324473**
3	बदुली SGI एफ–5	बदुली	विदेशी मदिरा	ऑफ	41048711	2052436	1026218
		बदुली	देशी मदिरा	आन	9430394	471520	235760
		सरसवाह	देशी मदिरा	आन	20805602	1040280	520140
		सिम्पलेक्स कालोनी	देशी मदिरा	आन	4615292	230765	115383
		योग			**75899999**	**3795000**	**1897500**

4	विन्ध्यनगर SGI एफ–3	विन्ध्यनगर	विदेशी मदिरा	ऑफ	55053514	2752676	1376338
		नवजीवन विहार	देशी मदिरा	आन	13205625	660281	330141
		तेलगवा	विदेशी मदिरा	ऑफ	4501360	225068	112534
		योग			**72760499**	**3638025**	**1819013**
5	नवानगर SGI एफ–6	नवानगर अमलोरी मोड	विदेशी मदिरा	ऑफ	40341154	2017058	1008529
		नवानगर	देशी मदिरा	आन	15473450	773673	386837
		निगाही मोड	देशी मदिरा	आन	12035395	601770	300885
		योग			**67849999**	**3392500**	**1696250**
6	परसौना SGI एफ–15	परसौना	विदेशी मदिरा	ऑफ	25327789	1266389	633195
		कचनी	देशी मदिरा	आन	23212906	1160645	580323
		खुटार	देशी मदिरा	आन	9796505	489825	244913
		योग			**58337200**	**2916860**	**1458430**
7	बरगवा SGI एफ–7	बरगवा	विदेशी मदिरा	ऑफ	28010942	1400547	700274
		डगा	देशी मदिरा	आन	18253558	912678	456339
		योग			**46264500**	**2313225**	**1156613**
8	निगरी SGI एफ–11	निगरी	विदेशी मदिरा	ऑफ	16437838	821892	410946
		महुआगाव	देशी मदिरा	आन	9049327	452466	226233
		अमहा टोला	देशी मदिरा	आन	13244611	662231	331116
		अमहा टोला	विदेशी मदिरा	ऑफ	6463225	323161	161581
		योग			**45195001**	**2259750**	**1129875**
9	रजमिलान SGI एफ–8	रजमिलान	विदेशी मदिरा	ऑफ	22410050	1120503	560252
		रजमिलान	देशी मदिरा	आन	12649690	632485	316243
		माड़ा	देशी मदिरा	आन	3320821	166041	83021
		करसुआ	विदेशी मदिरा	आन	6814440	340722	170361
		योग			**45195001**	**2259750**	**1129875**
10	जयन्त SGI एफ–4	जयन्त	विदेशी मदिरा	ऑफ	32749322	1637466	818733
		जयन्त	देशी मदिरा	आन	7593374	379669	189835
		बनौली	देशी मदिरा	आन	4520082	226004	113002
		योग			**44862778**	**2243139**	**1121570**
11	गोरबी SGI एफ–13	गोरबी	विदेशी मदिरा	ऑफ	16593527	829676	414838
		गोरबी	देशी मदिरा	आन	13069315	653466	326733
		दुधमनिया	देशी मदिरा	आन	7540610	377031	188516
		योग			**37203452**	**1860173**	**930087**
12	सासन SGI एफ–10	सासन	विदेशी मदिरा	ऑफ	18487752	924388	462194
		सासन	देशी मदिरा	आन	17277248	863862	431931
		योग			**35765000**	**1788250**	**894125**
13	समदा SGI सी–11	समदा	देशी मदिरा	ऑन	15214513	760726	380363
		समदा	विदेशी मदिरा	ऑफ	12730935	636547	318274
		करथुआ	देशी मदिरा	आन	4714552	235728	117864
		योग			**32660000**	**1633000**	**816500**
14	झिगुरदाकरवाही SGI एफ–9	झिगुरदाकरवाही	विदेशी मदिरा	ऑफ	14520293	726015	363008
		झिगुरदा कारवाही	देशी मदिरा	आन	8040713	402036	201018
		पजरेह	देशी मदिरा	आन	7802827	390141	195071
		योग			30363833	1518192	759096

15	चितरंगी SGI एफ–12	चितरंगी	विदेशी मदिरा	ऑफ	12003739	600187	300094
		चितरंगी	देशी मदिरा	आन	8350573	417529	208765
		लमसरई	देशी मदिरा	आन	2831808	141590	70795
		खटाई	देशी मदिरा	आन	2288804	114440	57220
		योग			**25474924**	1273746	636873
		महायोग			**840199910**	**42009996**	**21004998**

ई–टेण्डर क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम कि पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी । इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई–टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नको सहित अपलोड कर सकेगे ।

कोई भी समान्य व्यक्ति www.mpeproc.gov.in के होमपेज पर लाईव टेण्डर्स के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से वांछित जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहो की जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानें/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्ते एवं नियम संबंधी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली से प्राप्त की जा सकती है । कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से पोर्टल पर निविदा भरने की प्रकिया की जानकारी भी ली जा सकेगी ।

2. निष्पादित की जाने वाली देशी /विदेशी मदिरा दुकानो/एकल समूहो के नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी दर खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

3. **टेण्डर प्रपत्र का मूल्य**– वर्ष 2018–19 के लिये ई–टेण्डर का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूप **15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार)** प्रभारित होगा ।

4. **राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गो पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति** –माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.2017 एवं 11.07.2017 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के किनारे स्थापित संचालित, प्रभावित होने वाली मदिरा दुकानों की अवस्थिति के परिक्षत्र में आपत्ति रहित स्थल पर स्थानांतरित कर संचालन किया जावेगा ।

5. **मदिरा दुकानो का नाम परिवर्तित** – देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकान जिस नाम से स्वीकृत है, व उससे भिन्न नाम से संचालित है, ऐसी मदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित किया जाकर उसे वर्तमान स्थल पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से, नाम दिया गया है ।

6. मुख्य शर्ते/निर्बन्धन/निर्बन्धनो की विस्तृत जानकारी वेबसाईड www.govtpressmp.gov.in से राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विज्ञप्ति कमांक 80 दिनांक 01 फरवरी 2018 अपलोड कर प्राप्त की जा सकती है तथा जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से भी कार्यालयीन दिवसों के कार्यालयीन समय में जिले के लिए तैयार घोष विक्रय शर्त निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है ।

(अनुराग चौधरी)
कलेक्टर
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0क0 / आब. / ठेका / 2018–19 / 119 सिंगरौली, दिनांक– 19-2-18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की प्रतियॉ भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र, 03 संभाग स्तर के समाचार पत्रो में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करे ।
4. अपर आबकारी आयुक्त, राज्यस्तरीय उडनदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. समस्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग...................... की ओर सूचनार्थ ।
8. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी जिला .... की ओर सूचनार्थ ।
9. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला सिंगरौली की ओर अग्रेशित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का समाचार के रूप में स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन करावें ।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....जिला सिगरौली की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु ।
11. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना केन्द्र (NIC) जिला सिंगरौली की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
12. सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रभारी वृत्त– बैढन, मोरवां, देवसर एवं सरई जिला सिंगरौली की ओर लेख है कि आप आज से ही वर्ष 2018–19 के मदिरा दुकानो / एकल समूहो के निष्पादन प्रकिया मे भाग लेने हेतु संम्पर्क कर प्रेरित करे ।
13. प्रभारी अधिकारी देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार बैढन की ओर विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर तुरंत आज ही चस्पा किये जाने एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।

(अनुराग चौधरी)
कलैक्टर
सिंगरौली (म0प्र0)